दिनांक 31 मार्च 2012 को - भारतीय रिजर्व बैंक के नये पूंजी पर्याप्तता ढांचे (बेसल ॥) के अनुसार स्तंभ 3 के अधीन प्रकटीकरण

- कार्यान्वयन का विषय क्षेत्र
- प्रकटीकरण का ढांचा देना बैंक पर लागू होता है.
- बैंक की कोई सहायक कंपनी नहीं है.
- बैंक का किसी बीमा कंपनी में निवेश नहीं है.
- बैंक की निम्नलिखित घरेलू कंपनियों में 20% या उससे अधिक शेयरधारिता है.

Basel II Disclosures

Disclosures under Pillar 3 in terms of New Capital Adequacy Framework (Basel II) of Reserve Bank of India - as on 31st March 2012

- Scope of application:
- The framework of disclosures applies to Dena Bank.
- Bank has no Subsidiaries.
- Bank does not have any investment in an insurance entity.
- Bank is having 20% or more stake in the following domestic

	कंपनी का नाम Name of the Entity	स्वामित्व की सीमा Extent of Ownership
1	दुर्ग राजनंदगांव ग्रामीण बैंक Durg Rajnandgaon Gramin Bank	35.00%
2	देना गुजरात ग्रामीण बैंक Dena Gujarat Gramin Bank	35.00%

पूंजी ढ़ांचा

क. बैंक की टीयर। पूंजी में चुकता इक्विटी पूंजी, नवोन्मेषी स्थायी ऋण लिखत (आई पी डी आई) तथा विभिन्न प्रकार की आरक्षितियां (पुन: मूल्यांकन आरक्षितियों को छोडकर) शामिल हैं. टीयर ॥ पूंजी में पुनः मूल्यांकन आरक्षित निधियां, सामान्य हानि आरक्षित एवं मानक आस्तियों के लिए प्रावधान, उच्च टीयर ॥ पूंजी और निम्न टीयर ॥ पूंजी शामिल हैं. अप्रतिभूत भुगतान योग्य ऋणों की शर्तें निम्न प्रकार है:

II. Capital structure:

Upper Tier 2 Capital:

The Tier 1 capital of the Bank consists of paid up equity capital, Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI) and various types of reserves (excluding Revaluation Reserves). Tier 2 capital consists of Revaluation Reserve, General Loss Reserve and Provisions on Standard Assets, Upper Tier 2 Capital and Lower Tier 2 capital. The terms of unsecured redeemable debts are as under:

उच्च टीयर॥ पूंजी

शृंखला	ब्याज दर	परीपक्वता की तारीख	रकम (₹ करोड़ में)
Series	Interest Rate	Date of Maturity	Amount (₹ in crore)
I	9.20 %	30.09.2021	300.00

उच्च टीयर ॥ पूंजी:

Lower Tier 2 Capital:

श्रृंखला	ब्याज दर	परीपक्वता की तारीख	रकम (₹ करोड़ में)
Series	Interest Rate	Date of Maturity	Amount (₹ In crore)
VII	6.20 %	30.04.2013	150.00
VIII	7.30 %	30.04.2014	210.00
IX	9.25 %	24.05.2018	106.00
X	11.20 %	30.04.2019	300.00
XI	9.50 %	29.01.2019	200.00

बैंक की टीयर। पूंजी निम्न प्रकार है:

(₹ करोड में) (₹ in crore)

The Tier 1 capital of the bank is as under:

कुल टीयर। पूंजी Total Tier I Capital	4481.98
उसमें से Out of which	
प्रदत्त पूंजी Paid up capital	350.06
आई पी डी आई IPDI	250.00
पुर्नमूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर आरक्षित निधियां	3941.45
Reserves (excl. Revaluation reserve)	
कुल कटौतियां Total Deductions	59.53

- बैंक की टीयर पूंजी ॥ की कुल रकम ₹ 1339.94 करोड़ (टीयर ॥ पूंजी से कटौती की निवल रकम) है.
- The Total amount of Tier 2 capital of the bank (net of deduction from tier 2 capital) is ₹ 1339.94 crore.
- उच्च टीयर ॥ पूंजी में शामिल करने के लिए ऋण पूंजी लिखत हैं :
- The debt capital instruments eligible for inclusion in Upper Tier II capital are:

	₹ करोड़ में ₹ in crore
कुल बकाया राशि Total amount outstanding	300.00
वर्तमान वर्ष के दौरान जुटाई गई Of which raised during the current year	शून्य Nil
पूंजी के रुप में गणना के लिए पात्र रकम Amount eligible to be reckoned as capital	300.00



Basel II Disclosures

- निम्न टीयर ॥ पुंजी में शामिल करने के लिए पात्र गौण ऋण पुंजी लिखत हैं :
- Subordinated debt capital instruments eligible for inclusion in Lower Tier II capital are:

	₹ करोड़ में
	₹ in crore
कुल बकाया राशि Total amount outstanding	966.00
वर्तमान वर्ष के दौरान जुटाई गई Of which raised during the current year	0.00
पूंजी के रुप में गणना के लिए पात्र रकम Amount eligible to be reckoned as capital	720.00

- पुंजी पर्याप्तता की गणना के लिए दो ग्रामीण बैंकों में बैंक की शेयर धारिता के लिए ₹ 24.16 करोड़ टीयर ॥ पुंजी से घटा दिये गये हैं.
- For computation of Capital Adequacy, a deduction of ₹ 24.16 crore has been made from Tier II Capital towards Bank's stake in the 2 Gramin banks.
- छ. कुल पात्र पूंजी में शामिल है:
- The total eligible capital comprises of:

	₹ करोड़ में
	(₹ in crore)
टीयर I Tier I	4481.98
टीयर II Tier II	1339.94
কুল Total	5821.92

।।।. पूंजी पर्याप्तता :

क. ऋण जोखिम प्रबंधन

बैंक के ऋण जोखिम प्रबंधन के कार्य ऋण जोखिम प्रबंधन पर निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति में परिभाषित प्रक्रियाओं के अनुसार हैं. बैंक की ऋण नीति, एस.एम.ई.नीति तथा रिटेल ऋण नीति में ऋण जोखिम प्रबंधन नीति के आधार पर क्षेत्रीय इकाइयों को परिचालनात्मक दिशा निदेश दिये गये हैं. बैंक ने ऋण रेटिंग, संपार्श्विक प्रबंधन तथा जोखिम घटाने, विधिक निश्चितता तथा वसूली प्रबंधन के बारे में भी नीतियां तैयार की हैं. इन नीतियों की वार्षिक आधार पर समीक्षा की जाती है.

बैंक आंतरिक रुप में ₹ 10 लाख से अधिक के ऋणों के लिए व्यापक ऋण जोखिम रेटिंग प्रणाली का उपयोग कर रहा है. यह प्रणाली प्रति पक्ष में ली जा रही जोखिम के हद का एकल बिन्दु सूचक का कार्य कर रही है और नियमित रुप में ऋणों पर निर्णय लेने में मदद करती है. रेटिंग प्रणाली ऋण जोखिम के 'प्रवेश' एवं 'निकास' दर्शाती है.

बैंक की एक सुदृढ़ ऋण निगरानी प्रणाली है जो बैंक के ऋणों में आरंभिक चेतावनी संकेतों को प्राप्त करने के लिए तैयार की गई है. कॉर्पोरेट कार्यालय ₹ 50 लाख और उससे अधिक के सभी मानक ऋण खातों पर निगरानी रखता है, क्षेत्रीय कार्यालय ₹ 10 लाख और उससे अधिक ₹ 50 लाख तक के ऋण खातों पर निगरानी रखते हैं और शाखाएं शेष खातों पर निगरानी रखती हैं. इस प्रणाली के द्वारा बाधित खातों की पहचान करने तथा उन पर तुरंत सुधार के उपाय करने में सहायता मिलती है. एक बार किसी भी खाते के बाधित के रुप में पहचान किये जाने पर उस पर निगरानी की मात्रा बढा दी जाती है.

बैंक ऋण रेटिंग अंतरण प्रणाली की वार्षिक आधार पर नियमित रुप में समीक्षा करता है. बैंक एल जी डी (चूक पर हानि) तथा ई ए डी (चूक पर जोखिम) के अनुमान के लिए एक ढांचे का विकास कर रहा है और संचयन जोखिम की पहुंचान के लिए भी एक ढांचा तैयार कर रहा है.

निदेशक मंडल की समन्वित जोखिम प्रबंधन समिति (आई आर एम सी) ऋण जोखिम प्रबंधन के मामलों में आई आर एम सी / निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीतियों और अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उच्च स्तरीय ऋण जोखिम प्रबंधन समिति के कार्य पर भी निगरानी रखती है.

बैंक ने ₹ 5 करोड़ और उससे अधिक के संबंध में जोखिम प्रबंधन प्रणाली के अभिन्न भाग के रुप में सुपरिभाषित ऋण लेखा परीक्षा प्रणाली (ऋण समीक्षा तंत्र एल.आर.एम.) तैयार की है.

स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी द्वारा अंतिम निर्णय लेने से पहले स्वतंत्र जोखिम मूल्यांकन करने के लिए कार्यपालक निदेशक और उससे उच्च प्राधिकारियों के अधिकारों के अंतर्गत आने

III. Capital Adequacy:

A. Credit Risk management:

The credit risk management function of the Bank revolves around the processes defined by a Board approved policy on credit risk management. Loan policy, SME Policy and Retail Lending Policy of the Bank provide operational level guidelines to field units based on the Credit Risk Management Policy. The Bank has also formulated policies on Credit Rating, Collaterals Management and Risk Mitigation, Legal Certainty and Recovery Management Policy. These policies are reviewed on annual basis.

The Bank has been using a comprehensive credit risk rating system for all exposures of over ₹ 10 lakhs internally that serves as a single point indicator of the extent of risk taken in counter-party and for taking credit decisions in a consistent manner. The rating system indicates 'entry' and 'exit' points for exposures.

The Bank has a well laid down credit monitoring system designed to capture early warning signals in its exposures. While Corporate Office directly monitors all standard exposures of ₹ 50 lakh and above, Regional Offices monitor exposures of ₹ 10 lakh and above up to ₹ 50 lakh and the rest of the accounts are monitored by the Branches. The system facilitates identification of stressed accounts early and to trigger prompt corrective action. Once an account is identified as stressed account, the level of monitoring is escalated.

The Bank is regularly carrying out credit rating migration analysis at annual intervals. The Bank is also developing framework for estimating LGD (Loss Given Default) and EAD (Exposure At Default) and also the framework for identifying concentration risk.

The Integrated Risk Management Committee (IRMC) of the Board of Directors oversees the functioning of the high level Credit Risk Management Committee (CRMC), for implementing policies and other strategies approved by IRMC / Board in matters of credit risk

As an integral part of Risk Management System, the bank has put in place a well-defined Credit Audit System [Loan Review Mechanism (LRM)], in respect of all exposures of ₹ 5 crore and above.

All loan proposals falling under the powers of Executive Director & above are routed through a Credit Committee consisting of representatives from Risk Management department, Credit

वाले सभी ऋण प्रस्तावों को साख समिति के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, इस समिति में जोखिम प्रबंधन विभाग, ऋण परिचालन विभाग आदि के प्रतिनिधि होते हैं. इसी प्रकार क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर, क्षेत्रीय प्रबंधक और महाप्रबंधक के अधिकार के अंतर्गत आने वाले ₹ 50 लाख और अधिक ऋण प्रस्तावों की संवीक्षा क्षे.का. साख समिति द्वारा की जाती है जिसमें ऋण, प्राथमिकता क्षेत्र, वसूली, विधि तथा निरीक्षण विभाग के अधिकारी शामिल होते हैं ताकि आस्तियों की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके.

ख. बाजार जोखिम एवं तरलता जोखिम प्रबंधन

बाजार जोखिम एवं तरलता जोखिम का प्रबंधन निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित आस्ति देयता प्रबंधन नीति तथा निवेश नीति के प्रावधानों के अनुसार बैंक के समन्वित राजकोष द्वारा किया जाता है. इन नीतियों में बाजार जोखिम तथा तरलता जोखिम में पहचान, माप, निगरानी और उसे कम करने के लिए प्रावधान दिये गये हैं. इन नीतियों में विभिन्न राजकोष उत्पादों में निहित जोखिमों के बारे में उल्लेख सहित बैंक के लिए विभिन्न जोखिमों के क्षेत्र तथा विभिन्न नियामक एवं आंतरिक सीमायें दी गयी हैं. रेटिंग के परिवर्तन पर नियमित रूप में निगरानी रखी जाती है.

संरचना के रुप में राजकोष में फ्रंट आफिस, बैंक आफिस और मिड आफिस शामिल हैं. मिड आफिस के कार्य जोखिम प्रबंधन तथा ए.एल.सी.ओ. के कार्य के साथ जोडकर उसे स्वतंत्र रखा गया है ताकि जोखिम प्रबंधन प्रणाली में उसकी स्वतंत्रता एवं प्रभाविता सुनिश्चित की जा सके.

निदेशक मंडल, आई. आर. एम. सी. तथा ए. एल. सी. ओ. बैंक के बाजार जोखिम प्रबंधन, उसकी प्रक्रिया, नियामक द्वारा जारी जोखिम प्रबंधन दिशा निदेशों के कार्यान्वयन, वैश्विक रुप में अपनायी जाने वाली उत्तम जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं के लिए जिम्मेदार है और यह सुनिश्चित करता है कि आंतरिक मानदंड प्रक्रियायें, व्यवहार / नीतियाँ और जोखिम प्रबंधन विवेकपूर्ण सीमाओं का अनुपालन किया जाता है. राजकोष की दिन-प्रतिदिन की गतिविंधियों की निवेश एवं मुद्रा बाजार परिचालनों की आंतरिक समिति द्वारा दैनिक आधार पर समीक्षा की जाती है.

बैंक के तरलता जोखिम का निर्धारण विभिन्न समय श्रेणियों में शेष परिपक्वता के आधार पर तथा विभिन्न तरलता अनुपातों के आधार पर परिपक्वता विसंगति के अंतराल विश्लेषण के माध्यम से किया जाता है और उसका प्रबंधन उसके लिए निर्धारित विवेकपूर्ण सीमाओं के अंदर किया जाता है.

विभिन्न तरलता वातावरण के अंतर्गत आकस्मिक निधियन योजना तैयार करने के लिए उच्च तकनीक जैसे दबाव जांच, अनुकरण / संवेदनता विश्लेषण आदि नियमित अंतराल पर किये जाते हैं.

ग. परिचालन जोखिम प्रबंधन

बैंक ने अपेक्षित सूचना प्राप्त करने के लिए विस्तृत परिचालन जोखिम ढ़ांचा (ओ. आर. एम) सहित सुपरिभाषित ओ. आर. एम. नीति तथा आवश्यक तंत्र तैयार किया है. परिचालन जोखिम प्रबंधन कार्य का पर्यवेक्षण परिचालन जोखिम समिति द्वारा किया जाता है. बैंक उच्च पद्धतियों जैसे स्टेन्डरडाइज्ड अप्रोच तथा एडवान्स्ड मेजरमेंट एप्रोच (ए एम ए) में पहुंचने के लिए उचित मंच विकसित करने की प्रक्रिया में है.

बैंक ऋण के मूल्य में अप्रत्याशित हानियों, कारोबार आदि के जोखिम को पूरा करने के लिए पूंजी रखता है ताकि जमाकर्ताओं तथा सामान्य लेनदारों को ऐसी अनपेक्षित हानियों से बचाया जा सके. बैंक के पास सभी प्रकार के जोखिमों का व्यापक रुप से मूल्यांकन करने और उनको निर्धारित करने तथा उनके समक्ष उपयुक्त पूंजी का आबंटन करने के लिए निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण कार्रवाई नीति (आई सी ए ए पी) है ताकि नियामक एवं आर्थिक पूंजी दोनों के लिए पूर्णतः समन्वित जोखिम / पूंजी मॉडल तैयार किया जा सके.

नये पूंजी पर्याप्तता ढ़ांचे के अनुसार अनुपालन के लिए बैंक ने ऋण जोखिम के लिये स्टेन्डरडाइज्ड अप्रोच, परिचालन जोखिम के लिए बेसिक इंडिकेटर अप्रोच तथा सी. आर. ए. आर. की गणना के लिए बाजार जोखिम हेतु स्टेन्डरडाइज्ड एवं ड्यूरेशन एप्रोच को अपनाया है.

पूंजी की आवश्यकता नियामक अपेक्षा है, बैंक के क्रियाकलापों विशेषत: आर्थिक एवं बाजार स्थितियों से जोखिम उत्पन्न होते हैं. बैंक की पूंजी की आयोजना इसलिए

Basel II Disclosures

Operations department etc. for independent risk assessment before taking a final decision by sanctioning authority. Similarly, at R.O. level, all the loan proposals with exposure of ₹ 50 lakhs and above falling under the powers of the Regional Manager and General Managers are screened by a R.O Credit Committee consisting of officers from Credit, Priority Sector, Recovery, Legal and Inspection functions for ensuring better asset quality.

Market Risk & Liquidity Risk Management:

The Market Risk and Liquidity Risk are managed by Integrated Treasury of the Bank in line with the provisions of Board approved Asset Liability Management Policy and Investment Policy. These policies provide for identification, measurement, monitoring and mitigation of Market Risk and Liquidity Risk. These policies provide for various regulatory and internal limits besides defining the risk appetite of the Bank including addressing the inherent risk in various treasury products. Migration of ratings is tracked regularly.

Structurally, the treasury comprises of Front Office, Back Office and Mid Office. The function of Mid Office is kept independent by attaching it with Risk Management function and ALCO so as to ensure its independence and effectiveness of Risk Management system.

The Board, IRMC & ALCO are responsible for the market risk management of the bank, procedures thereof, implementing risk management guidelines issued by regulator, best risk management practices followed globally and ensuring that internal parameters, procedures, practices / policies and risk management prudential limits are adhered to. Day-to-day activities of treasury are reviewed by In-house Committee on Investment and Money Market Operations on daily basis.

Liquidity risk of the Bank is assessed through gap analysis for maturity mismatch based on residual maturity in different time buckets as well as various liquidity ratios and management of the same is done within the prudential limits fixed thereon.

Advanced techniques such as Stress testing, simulation, sensitivity analysis etc. are conducted on regular intervals to draw the contingency funding plan under different liquidity scenarios.

C. Operational Risk Management :

Bank has put in place an elaborate Operational Risk Management Framework with a well-defined ORM Policy and necessary mechanism to capture required information. The Operational Risk Management function is overseen by the Operational Risk Management Committee (ORMC). Bank is also in the process of developing suitable platform for moving on to advanced approaches viz. the Standardised Approach and Advanced Measurement Approach (AMA)

Bank maintains capital to cushion the risk of unexpected losses in value of exposure, businesses etc. so as to protect the depositors and general creditors against such unexpected losses. Bank has a Board approved Internal Capital Adequacy Assessment Process Policy (ICAAP Policy) to comprehensively evaluate and document all risks and substantiate appropriate capital allocation so as to evolve a fully integrated risk/capital model for both regulatory and economic capital.

For compliance with the New Capital Adequacy Framework, the Bank has adopted Standardised approach for Credit Risk, Basic Indicator Approach for Operational Risk and Standardized and Duration Approach for Market Risk for computing CRAR.

The capital requirement is a function of the regulatory requirements, the risks arising from bank's activities mainly due to economic and market conditions. Capital planning of the bank is to ensure the adequacy of capital at the times of changing economic conditions,



की जाती है ताकि परिवर्तनशील आर्थिक स्थितियों तथा आर्थिक मंदी के समय में पूंजी की पर्याप्तता सुनिश्चित की जा सके. इस प्रक्रिया में बैंक ;

- बैंक की वर्तमान पूंजी आवश्यकता तथा
- भविष्य में प्रक्षेपित आस्ति अधिग्रहण को प्राप्त करने के लिए पूंजी की आवश्यकता पूरी की जा सके

बैंक अपनी पूंजी आवश्यकता की समीक्षा तथा पूंजी आयोजना 3 - 5 वर्षों के लिए मध्यम स्तर की योजनाओं के आधार पर करता है और उसकी वार्षिक रुप में समीक्षा करता है. वार्षिक समीक्षा के आधार पर बैंक टीयर 1 या टीयर-2 की पूंजी बैंक के निदेशक मंडल की अनुमति से जुटाता है. बैंक की पूंजी पर्याप्तता की स्थिति की समीक्षा बैंक के निदेशक मेंडल द्वारा तिमाही आधार पर की जाती है.

Basel II Disclosures

even at times of economic recession. In this process, the Bank recognizes:

- Current capital requirement of the bank; and
- Capital requirements to sustain projected asset acquisition in near future.

The Bank reviews its capital requirements and capital strategy based on medium range plans for 3 - 5 years and reviewed annually. On the basis of the annual review, the bank raises capital in Tier-1 or Tier-2 with the approval of Board of Directors of the Bank. The Capital Adequacy position of the bank is reviewed by the Board of the Bank on quarterly basis.

बैंक की जोखिम भारित आस्तियों (आर.डब्ल्यू.ए.) एवं न्यूनतम पूंजी आवश्यकता तथा वास्तविक पूंजी पर्याप्तता दिनांक 31.03.2012 के अनुसार निम्न प्रकार है: The Bank's Risk Weighted Assets (RWA), Minimum Capital Requirement and Actual Capital Adequacy as on 31.03.2012 are as under:

(i)	ऋण जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकता	(₹ करोड़ में)
	Capital requirement for Credit risk	(₹ in crore)
	ऋण जोखिम के लिये जोखिम भारित आस्तियां Risk Weight Assets for Credit Risk	44009.29
	प्रतिभूतिकरण जोखिम Securitisation exposures	0.00
(ii)	निम्न के संबंध में बाजार जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकता Capital requirement for Market risk in respect of:	
	ब्याज दर जोखिम के लिए जोखिम भारित आस्तियां Risk Weight Assets for Interest Rate Risk	1607.22
	विदेशी मुद्रा जोखिम (स्वर्ण सहित) के लिए जोखिम भारित आस्तिया	
	Risk Weight Assets for Foreign Exchange risk (including gold)	50.00
	इक्विटी जोखिम के लिए जोखिम भारित आस्तियां Risk Weight Assets for Equity Risk	222.33
	बाजार जोखिम के लिए कुल जोखिम भारित आस्तियां Total Risk Weight Assets for Market Risk	1879.55
	एफ.एफ.सी के लिए जोखिम भारित आस्तियां Risk Weight Assets for FFC	50.39
(iii)	परिचालन जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकता Capital requirement for Operational Risk:	
	बेसिक सूचक अप्रोच के अधीन परिचालन जोखिम के लिए जोखिम भारित आस्तियां	2957.47
	Risk Weight Assets for Operational Risk under Basic indicator approach	
(iv)	अन्य के लिए पूंजी आवश्यकता Capital requirement for others :	
	अचल आस्तियों, अन्य आस्तियों और आकस्मिक मदों के लिए जोखिम भारित आस्तियां	1677.59
	Risk weight assets for Fixed Assets, Other Assets and Contingent items	
(v)	कुल पूंजी एवं सी आर ए आर Total Capital & CRAR	
	ऋण, बाजार एवं परिचालन जोखिम के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकता	4551.69
	Minimum Capital Requirement for Credit, Market & Operational Risk	
	कुल पात्र पूंजी की वास्तविक स्थिंति Actual Position of Total Eligible capital	5821.92
	पात्र टीयर । पूंजी Eligible Tier I Capital	4481.98
	पात्र टीयर II पूंजी Eligible Tier II Capital	1339.94
	सी आर ए आर CRAR	11.51 %
	आर डब्ल्यू ए के अनुपात में टीयर। पूंजी Tier I Capital to RWA	8.86 %
	आर डब्ल्यू ए के अनुपात में टीयर II पूंजी Tier II Capital to RWA	2.65 %

IV. ऋण जोखिम के संबंध में सामान्य प्रकटन

- क. बैंक की ऋण आस्तियों के वर्गीकरण के लिए बैंक की नीति निम्न प्रकार है: गैर निष्पादक आस्तियां (एन पी ए) : गैर निष्पादक आस्ति (एन पी ए) वह ऋण या अग्रिम है जिसमें :
- किसी आवधिक ऋण के मामले में ब्याज और / या मूलधन की किस्त 90 दिन से अधिक अवधि तक बकाया रहती है,
- किसी ओवरड्राफ्ट / नकद ऋण (ओ डी / सी सी) के मामले में खाता 'अनियमित' बना रहती है,
- खरीदे और भुनाये गये बिलों के मामले में बिल 90 दिन से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहता है,
- अल्पावधि फसलों के लिए मूलधन की किस्त या उस पर ब्याज दो फसल मौसम तक अतिदेय रहता है,
- दीर्घावधि फसलों के लिए मूलधन की किस्त या उस पर ब्याज एक फसल मौसम के लिए अतिदेय रहता है,

- IV. General disclosures in respect of Credit Risk:
- The policy of the Bank for classifying bank's loan assets is as under:

NON PERFORMING ASSETS (NPA): A non-performing asset (NPA) is a loan or an advance where;

- interest and / or installment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a term loan,
- the account remains 'out of order' in respect of an Overdraft/ Cash Credit (OD/CC),
- the bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted,
- the installment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops,
- the installment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season for long duration crops.

कोई भी ओ.डी. / सी.सी. खाता जिसमें बकाया राशि स्वीकृत सीमा / आहरण अधिकार से निरंतर अधिक रहती है उसे "अनियमित खाता" माना जाता है. ऐसे मामलों में जहां मूल परिचालन खाते में बकाया राशि स्वीकृत सीमा / आहरण अधिकार से कम है, लेकिन तुलनपत्र की तारीख को लगातार 90 दिन की अवधि तक कोई भी राशि जमा नहीं की गई हो या उस अवधि के लिए नामें डाली गई ब्याज की रकम के भुगतान के लिए जमा की गई राशि पर्याप्त न हो तो वह खाते अनियमित माने जाते हैं. किसी भी ऋण सुविधा में बैंक को देय कोई भी राशि ''अतिदेय'' हो जाती है यदि उसका भुगतान बैंक द्वारा निर्धारित तिथि को न किया जाय. बैंक की गैर निष्पादक आस्तियों को आगे निम्नानुसार तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

उप मानक आस्तियां

उप मानक आस्ति उसे माना जाता है जो कि 12 महीने या उससे कम अवधि तक एन पी ए रहा हो. वसूली के सभी उपाय उप मानक खातों पर भी लागू होते हैं. यदि संपूर्ण बकाया राशि की नकद वसूली की जाती है तो उस खाते का मानक श्रेणी में तुरंत उन्नयन किया जा सकता है. इसी प्रकार यदि किसी खाते को तकनीकि कारणों से एन. पी.ए. के रुप में वर्गीकृत किया गया है तो तकनीकी कारण का समाधान होने पर खाते का उन्नयन किया जायेगा.

संदिग्ध आस्तियां

यदि कोई खाता 12 महीने की अवधि तक उप मानक श्रेणी में रहता है तो उसे संदिग्ध के रुप वर्गीकृत किया जाएगा. खातों के संबंध में जहां उपलब्ध प्रतिभूति का मुल्य बकाया राशि के 50 प्रतिशत से कम हो तो उन खातों को भी संदिग्ध के रुप में वर्गीकृत किया जायेगा. जिन उप मानक और संदिग्ध खातों का पुन: निर्धारण किया जाता है उनके ब्याज या मूलधन, जो भी पहले देय हो, के देय होने के बाद, प्रथम भुगतान की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के बाद मानक श्रेणी में उन्नयन किया जा सकता है, बशर्ते कि उस अवधि के दौरान उसका निष्पादन संतोषजनक रहा हो.

हानि आस्तियां

हानि आस्तियां वे आस्तियां हैं जिनमें बैंक द्वारा या आंतरिक या बाहरी लेखा परीक्षकों द्वारा या भारतीय रिजर्व बैंक निरीक्षण द्वारा हानि निर्धारित की गई हो. हानि आस्तियों के मामले में उपलब्ध प्रतिभूति का वसूली योग्य मूल्य बकाया / बैंक को देय राशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो. चूंकि प्रतिभूति की सुरक्षा उपलब्ध नहीं होगी, पुननिर्धारण / पुनर्वास पर विचार हर संभव सावधानी से किया जाना चाहिए.

ख. कार्य योजनाएं एवं कार्रवाईयां:

ऋण जोखिम प्रबंधन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए बैंक की निम्नानुसार सुपरिभाषित ऋण नीति, रिटेल उधार नीति, एस एम ई नीति, ऋण वसूली नीति और निवेश नीति हैं:

- अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लिए, विभिन्न प्रकार के उधारकर्ताओं और उनके ग्रप और उद्योग के लिए ऋण सीमाएं
- ऋण प्रदान करने में उचित व्यवहार कोड
- बैंक के विभिन्न स्तर के प्राधिकारियों के लिए ऋण स्वीकृत करने के
- ऋण प्रदान करने में शामिल कार्रवाई हैं स्वीकृति पूर्व निरीक्षण, अस्वीकृति, मूल्यांकन, स्वीकृति, दस्तावेज तैयार करना, निगरानी और वसूली.
- दर निर्धारित करना

ग. ऋण जोखिम सिद्धांत, संरचना एवं बैंक की प्रणालियां निम्न प्रकार हैं: ऋण जोखिम सिद्धांत:

- आस्ति देयता प्रबंधन (ए एल एम) की आवश्यकता के अनुसार संशाधनों का लाभदायी नियोजन.
- विद्यमान ग्राहकों की उपयुक्त ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण मूल्यांकन और निगरानी मानदंडों में सामान्य दृष्टिकोण अपनाना और शीघ्र ऋण निर्णय लेने के अलावा नये ग्राहक जोडकर ग्राहक आधार बढाना.

Basel II Disclosures

An OD/CC account is treated as 'out of order' if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/ drawing power. In cases where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit/ drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, these accounts are treated as 'out of order'.

An amount due to the bank under any credit facility is 'overdue' if it is not paid on the due date fixed by the bank. Non Performing Assets of the Bank are further classified into three categories as

Sub-standard Assets:

A sub-standard asset would be one, which has remained NPA for a period less than or equal to 12 months. All the recovery measures are relevant in substandard assets also. If the entire overdues are recovered by way of cash recovery, the account can be upgraded to standard category immediately. Similarly, if an account is classified as NPA due to technical reasons, the account shall be upgraded on clearance of technical reasons.

Doubtful Assets:

An asset would be classified as doubtful if it remained in the sub standard category for 12 months. In case of accounts, where the realizable value of security available is less than 50% of the balance outstanding / dues, these accounts would also be classified as Doubtful. Substandard and Doubtful accounts, which are subjected to restructuring/ rescheduling, can be upgraded to standard category only after a period of one year after the date when first payment of interest or of principal, whichever is earlier, falls due, subject to satisfactory performance during the period.

Loss Assets:

A loss asset is one where loss has been identified by the bank or internal or external auditors or the RBI inspection. In Loss assets, realizable value of security available is not more than 10% of balance outstanding/ dues. Since security back up will not be available, the restructuring/ rehabilitation, if required, should be considered with utmost care.

Strategies and Processes:

The bank has a well defined Loan Policy, Retail Lending Policy, SME Policy, Loan Recovery Policy and Investment Policy covering the important areas of credit risk management as under:

- Exposure ceilings to different sectors/ Industries of the economy, different types of borrowers, group and Industry
- Fair Practice Code in dispensation of credit
- Discretionary Lending Powers for different levels of authority of the bank
- Processes involved in dispensation of credit pre sanction inspection, rejection, appraisal, sanction, documentation, monitoring, and recovery.
- Fixation of pricing
- The Credit Risk philosophy, architecture and systems of the bank are as under:

Credit Risk Philosophy:

- Profitable deployment of resources in line with Asset Liability Management (ALM) requirements.
- To aim at a common approach in credit appraisal and monitoring standards to meet genuine credit needs of existing clients and to enlarge client base through client acquisition besides facilitating quick and prompt credit decisions.



- ऋण संविभाग के निष्पादन की निगरानी के लिए समान ऋण मूल्यांकन प्रणाली और प्रक्रिया मानक स्थापित करना और गैर निधि जोखिमों से आय में वृद्धि हेतु दिशा निदेश जारी करना.
- ऋण सुपूर्दगी प्रणाली को मजबूत करना तथा सामाजिक आर्थिक दायित्वों, लाभ प्रदता, आस्ति क्षति के पूर्व अनुभव और रिटेल बैंकिंग पर बृहत ध्यान देकर ऋण के सेक्टर स्पष्ट रुप से निर्धारित करना.
- ऋण संकेद्रण के मामलों पर ध्यान देना और विवेकपूर्ण ऋण जोखिम मानदंड निर्धारित करना.
- आस्तियों की उपयुक्त वृद्धि के लिये सुविविधता वाला ऋण संविभाग बनाना.
- जोखिम पहचान, माप, निगरानी एवं निवारण के लिए मानदंडों के साथ ऋण जोखिम प्रबंधन प्रणाली स्थापित करना.
- ऋण समीक्षा तंत्र उपलब्ध कराना.
- जोखिम आधारित ऋण मृल्य निर्धारण नीति स्थापित करना.
- पूर्ण सूचना के साथ ऋण संबंधी निर्णय लेने के लिए सूचना उपलब्ध कराना और ऋण मूल्यांकन और निगरानी के बारे में क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को उपयुक्त प्रशिक्षण प्रदान करवाना.
- सभी स्तरों पर विवेकाधिकारी प्राधिकारियों को पर्याप्त अधिकार देना.

बैंक की संरचना और प्रणाली

- बैंक में जोखिम प्रबंधन के बारे में विशिष्ट रुप से पर्यवेक्षण और समन्वय के लिए निदेशक मंडल द्वारा निदेशकों की एक उप-समिति गठित की गई है.
- विभिन्न ऋण जोखिम योजनाएं तैयार करने और कार्यान्वित करने के लिए ऋण जोखिम प्रबंधन समिति गठित की गई है जिसके कार्यो में उधार नीति तैयार करना तथा उद्यमों में बैंक के जोखिम प्रबंधन कार्य की निगरानी करना भी शामिल है.
- ऋण प्रस्तावों, वित्तीय संविदाओं, रेटिंग मानकों और बेंच मानकों के लिए मानकों कें नीतियां तैयार करना.
- ऋण जोखिम प्रबंधन कक्ष निर्धारित सीमा तक ऋण जोखिम की पहचान, माप, निगरानी और नियंत्रण का कार्य करते हैं.
- निदेशक मंडल / नियामक आदि द्वारा निर्धारित जोखिम मानदंडों एवं विवेकपूर्ण सीमाओं का प्रवर्तन और अनुपालन.
- जोखिम निर्धारण प्रणाली तैयार करना, प्रबंधन सूचना प्रणाली का विकास करना, ऋण संविभाग की गुणवत्ता की निगरानी, समस्याओं का पता लगाना और कमियों को ठीक करना.
- संविभाग का मूल्यांकन, अर्थव्यवस्था, उद्योग पर व्यापक अध्ययन करना, ऋण संविभाग पर उसके प्रभाव की जांच कराना.
- निर्धारित मानदंडों और दिशा निदेशों के पूर्ण अनुपालन के फलस्वरुप ऋण सुपूर्दगी प्रणाली में सुधार.

घ. जोखिम सूचना का कार्यक्षेत्र एवं प्रकृति / माप प्रणाली

बैंक ने अपने ऋण जोखिमों के लिए संतुलित ऋण जोखिम रेटिंग प्रणाली तैयार की है. ऋण जोखिम को कम करने के लिए एक प्रभावी उपाय यह है कि किसी विशेष आस्ति में संभावित जोखिम की पहचान की जाये. एक सुदृढ़ आस्ति की गुणवत्ता बनायी रखी जाये और उसके साथ ही आस्ति की कीमत निर्धारण में लोच रखी जाए ताकि बैंक की समग्र योजना और ऋण नीति के अनुसार जोखिम लाभ मापदंडों की अपेक्षाएं पूरी की जाये.

बैंक की सुदृढ़ रेटिंग प्रणाली आंतरिक रूप में विकसित की गई है और अपनी ऋण आस्तियों में चूक की संभावनाओं के निर्धारण में बैंक की सहायता के लिए तैयार की गई है और इस प्रकार अपनी आस्ति गुणवत्ता बनाए रखने के लिए प्रणाली तैयार करने और उपाय आरंभ करने में सहायता करती है.

Basel II Disclosures

- To set up standard and uniform credit evaluation system and procedures to monitor portfolio performance and set up guideposts to augment income from non-fund exposures
- Strengthen the credit delivery system and to clearly lay down the preferred deployment area of credit, keeping in view the socio-economic obligations, profitability, past experience of asset impairment and with greater focus on retail banking.
- To address issues of credit concentration and to set up prudential credit exposure norms.
- To build and maintain a well diversified portfolio for an orderly asset growth.
- To set up a Credit Risk Management System with parameters for risk identification, measurement, monitoring and mitigation
- To provide for Loan Review Mechanism.
- To set up a risk based Loan Pricing Policy.
- To provide for dissemination of information to enable informed credit decision making at all levels and to facilitate proper training of field staff on credit appraisal and monitoring
- To provide for adequate delegation of discretionary authority at all levels.

Architecture and Systems of the Bank:

- A Sub-Committee of Directors has been constituted by the Board to specifically oversee and co-ordinate Risk Management functions in the Bank.
- Credit Risk Management Committee has been set up to formulate and implement various credit risk strategy including lending policies and to monitor Bank's Enterprise-wide Risk Management function on a regular basis.
- Formulating of policies on standards for credit proposals, financial covenants, rating standards and benchmarks.
- Credit Risk Management function deal with identification, measurement, monitoring and controlling credit risk within the prescribed limits.
- Enforcement and compliance of the risk parameters and prudential limits set by the Board/regulator etc.,
- Laying down risk assessment systems, developing MIS, and monitoring quality of loan portfolio, identification of problems, and correction of deficiencies.
- Evaluation of Portfolio, conducting comprehensive studies on economy, industry, test the resilience on the loan portfolio
- Improving credit delivery system upon full compliance of laid down norms and guidelines.

d. The Scope and Nature of Risk Reporting and / or **Measurement System:**

The Bank has in place a robust credit risk rating system for its credit exposures. An effective way to mitigate credit risks is to identify potential risks in a particular asset, maintain a healthy asset quality and at the same time impart flexibility in pricing assets to meet the required risk-return parameters as per the bank's overall strategy and credit policy.

The bank's robust credit risk rating system is developed in-house and is designed to assist the bank in determining the Probability of Default and the severity of default, among its loan assets and thus allow the bank to build systems and initiate measures to maintain its asset quality.

Basel II Disclosures

- ऋण जोखिम के परिमाणात्मक प्रकटन निम्न प्रकार हैं :
- The Quantitative Disclosures in respect of Credit Risk are as under:

(₹ करोड़ में)

(₹ In crore)

क्र.सं. SI. No.	क्षेत्र/उद्योग Territory / Industry	Amount
(i)	कुल ऋण (निवल प्रावधान)	56692.54
an.	Total credit (Net of provision)	
(ii)	अग्रिमों का भौगोलिक वितरण Geographic Distribution of Advances.	
	🕨 विदेशा Overseas	0.00
	🕨 देशी Domestic	56692.54
(iii)	धरेलू ऋणों का उद्योगवार वितरण Industry type distribution of domestic exposures	निधि आधारित बकाया + निवेश Fund Based Outstanding + Investment
	खनन और उत्खनन (कोयला सहित) Mining & Quarrying (incl. Coal)	43.04
	लोहा एवं इस्पात Iron & Steel	2610.85
	अन्य धातुएं एवं धातु उत्पाद Other Metals & Metal Products	430.89
	सभी इंजिनीयरिंग All Engineering	1596.46
	रूई वस्त्र उद्योग Cotton Textile	1043.16
	जुट वस्त्र उद्योग Jute Textile	2.68
	अन्य वस्त्र उद्योग Other Textiles	1181.65
	चीनी Sugar	116.16
	चाय Tea	0.75
	खाद्य संसाधन Food Processing	636.23
	खाद्य तेल (वनस्पति सहित) Vegetable oils (incl. Vanaspati)	282.60
	कागज एवं कागज उत्पाद Paper & Paper Products	200.48
	रबड, प्लास्टिक उत्पाद Rubber , Plastic & Products	464.53
	रसायन, रंग सामग्री, पेंट एवं औषधीय जिसमें से	1589.46
	Chemicals, Dyes, Paints & Pharmaceutical of which:	
	≽ खाद Fertilizers	157.44
	🕨 पेट्रो-रसायन Petro- Chemicals	583.99
	🕨 औषध एवं फार्मस्यूटिकल्स Drug & Pharmaceuticals	280.46
	सीमेंट Cement	567.98
	लेदर एवं लेदर उत्पाद Leather & Leather Products	282.25
	जेम एवं ज्वेल्लरी Gems & Jewellery	632.01
	निर्माण Construction	193.25
	पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद एवं परमाणु ईंधन Petroleum , Coal Products and Nuclear Fuels	102.12
	वाहन, वाहन पुर्जे एवं परिवहन उपकरण Vehicles, Vehicles Parts & transport Equipments	298.54
	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर Computer Software	73.88
	बुनियादी सुविधाओं के लिए, जिनमें से Infrastructure of which:	11675.90
	> विद्युत Power	8972.22
	> दूर संचार Telecommunications	581.00
	🕨 रोड एवं पोर्ट Road & Ports	854.49
	> अन्य बुनियादी सुविधाएं Other Infrastructure	1268.19
	एन.बी.एफ.सी NBFCs	6445.45
	व्यापार Trading	1622.91
	पेय एवं तम्बाकू Beverage & Tobacco	4.56
	लकड़ी एवं लकड़ी उत्पाद Wood & Wood Products	77.38
	अन्य उद्योग Other Industries	1982.60



Basel II Disclosures

विद्युत क्षेत्र को दिया गया कुल ऋण ₹ 8972.22 करोड़ है जो कुल ऋण का 15.70% है, दूर संचार ₹ 581.00 करोड़ (1.02%), रोड एवं पोर्ट ₹ 854.49 करोड़ (1.49%) तथा 'अन्य बुनियादी सुविधाओं' को दिया गया ऋण ₹ 1268.19 करोड़ है जो कुल ऋण का 2.22% है.

च. गैर-निष्पादक अग्रिम एवं निवेश के संबंध में प्रकटन :

क. कुल एन.पी.ए:

Total credit exposure to Power sector is ₹ 8972.22 crore which constituted 15.70% of total credit, Telecom ₹ 581.00 crore (1.02%), Road & Ports ₹ 854.49 crore (1.49%) and to 'Other Infrastructure' is ₹1268.19 crore which constituted 2.22% of total credit.

- Disclosure in respect of Non-performing Advances and Investments:
- **Gross NPA**

- 1.67 %

- 1.01 %

श्रेणी Category	₹ करोड़ में
	₹ In Crore
उप मानक Sub Standard	392.68
संदिग्ध - Doubtful - 1	233.16
संदिग्ध - Doubtful - 2	156.29
संदिग्ध - Doubtful - 3	76.06
हानि Loss	98.31
कुल एन.पी.ए Total NPA	956.50

- ख. निवल एन.पी.ए की रकम ₹ 571.73 करोड़ है.
- b. The amount of net NPA is ₹ 571.73 Crore
- ग. एन.पी.ए अनुपात निम्न प्रकार है :
- c. The NPA ratios are as under:
 - सकल अग्रिमों में सकल एन.पी.ए. Gross NPAs to Gross Advances
 - निवल अग्रिमों में निवल एन.पी.ए. Net NPAs to Net Advances
- घ. कुल एन.पी.ए में उतार चढाव निम्न प्रकार हैं:
- d. The movement of gross NPAs is as under:

क्रम सं.	विवरण	₹ करोड़ में
SI. No.	Particulars Particulars	₹ In Crore
(i)	वर्ष के आरंभ में अथ शेष Opening Balance at the beginning of the year	842.24
(ii)	वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	722.19
	वर्ष के दौरान घटा Reduction during the year	607.93
(iv)	वर्ष के अंत में इति शेष Closing Balance as at the end of the year (i + ii - iii)	956.50

उ. एन.पी.ए. के प्रावधान में उतार चढाव इस प्रकार है:

e. The movement of provision for NPA is as under:

क्रम सं.	विवरण	₹ करोड़ में
SI. No.	Particulars Particulars	₹ In Crore
(i)	वर्ष के आरंभ में अथ शेष Opening Balance at the beginning of the year	290.16
	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान Provision made during the year	262.13
(iii)	वर्ष के दौरान डाले गए बट्टे खाते Write-off made during the year	193.90
(iv)	वर्ष के दौरान वापस लिए गए अधिक प्रावधान Write-back of excess provisions made during the year	24.06
	वर्ष के अंत में इति शेष Closing Balance as at the end of the year (i+ii-iii-iv)	382.45

- च. गैर निष्पादक निवेशों की रकम ₹ 53.65 करोड़ हैं.
- The amount of non-performing investments is ₹ 53.65 crore.
- छ. गैर निष्पादक निवेशों के लिए किए गए प्रावधानों की रकम ₹ 53.65 करोड़ है.
- The amount of provisions held for non-performing investments is ₹ 53.65 crore
- ज. निवेशों पर मूल्यहास के लिए प्रावधानों में उतार चढाव इस प्रकार है :
- The movement of provisions for depreciation on investments is as under:

क्रम सं.	विवरण	₹ करोड़ में
SI. No.	Particulars Particulars	₹ in Crore
(i)	वर्ष के आरंभ में अथ शेष Opening Balance at the beginning of the year	91.31
(ii)	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान Provision made during the year	104.23
(iii)	वर्ष के दौरान डाले गए बट्टे खाते Write-off made during the year	0.00
(iv)	एच टी एम में अंतरित ए एफ एस / एच एफ टी के अंतर्गत निवेश का बही मूल्य घटाकर समायोजित मूल्यहास	15.39
	Depreciation adjusted by reducing book value of Investment under AFS/ HFT category shifted to HTM	
(v)	वर्ष के अंत में इति शेष	180.15
	Closing Balance as at the end of the year (i+ii-iii-iv)	

ऋण जोखिम : स्टेंडर्डाइस्ड अप्रोच के अनुसार संविभाग का प्रकटन:

स्टेंडर्डाइस्ड अप्रोच के अंतर्गत बैंक, घरेलू ऋण देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित ई.सी.ए.आई. (विदेशी ऋण निर्धारण संस्थान) जैसे सी.ए.आर.ई, सी.आर.आई.एस.आई.एल, फिट्च इंडिया एवं आई.सी.आर.ए. की रेटिंग स्वीकार करता है. विदेशी ऋणों के लिए बैंक स्टेंडर्ड एण्ड पुअर, मूडी एवं फिट्स की रेटिंग स्वीकार करता है.

बैंक बडे कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं को ई.सी.ए.आई. से रेटिंग प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है तथा जहां कहीं वे रेटिंग उपलब्ध हैं उनका उपयोग जोखिम वाली आस्तियों की रेटिंग के लिए करता है.

स्टेंडर्डाइस्ड अप्रोच के अनुसार जोखिम कम करने के बाद जोखिम धारित आस्तियां निम्नलिखित प्रमुख तीन जोखिम श्रेणियों में निम्न अनुसार हैं :

निधि आधारित ऋण

Fund based exposures

Basel II Disclosures

Credit risk: disclosures for portfolios subject to the standardised Approach:

Under Standardized Approach, the bank accepts rating of all RBI recognised ECRAs (External Credit Rating Agencies) namely CARE, CRISIL, Fitch India and ICRA for domestic credit exposures. For overseas credit exposures the bank accepts rating of Standard & Poor, Moody's and Fitch as per RBI guidelinesew

The bank encourages large corporate borrowers to solicit ratings from ECAI and has used these ratings for calculating risk weighted assets wherever such ratings are available.

The risk weighted assets after risk mitigation subject to Standardized Approach (rated and unrated) in the following three major risk buckets are as under:

(₹ करोड में)

(₹ in Crore)

	ऋण राशि	जोखिम वाली आस्तियां
	Exposures	Risk weighted Assets
100% से कम At below 100%	31019.23	12347.41
100% की दर पर At 100%	23653.46	23554.77
100% से अधिक At more than 100%	2486.50	3523.87

- (ii) तुलन पत्र में शामिल न होने वाले ऋण जिसमें अनाहरित / अप्रयुक्त सीमाएं भी शामिल हैं (₹ करोड में)
- (ii) Off-Balance Sheet exposures including undrawn / unutilized limits :

(₹ करोड़ में) (₹ in Crore)

	ऋण राशि जोखिम वाली आस्तिय	
	Exposures	Risk weighted Assets
100% से कम At below 100%	7403.64	1044.47
100% की दर पर At 100%	7645.02	2594.65
100% से अधिक At more than 100%	914.63	401.64

VI. ऋण जोखिम घटाना :

बैंक अपने उधारकर्ताओं को दिए गए ऋणों (निधि आधारित एवं गैर-निधि आधारित) की सुरक्षा के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियां (जिसे संपार्शिक प्रतिभूति भी कहा जा सकता है) प्राप्त करता है. सामान्यतः निम्नप्रकार की प्रतिभूतियां (चाहे वह प्राथमिक प्रतिभूति हो या सपार्श्विक प्रतिभूति) ली जाती हैं :

- चल आस्तियां जैसे स्टॉक, चल मशीनरी आदि.
- अचल आस्तियां जैसे भूमि, भवन, प्लांट एवं मशीनरी.
- बैंक की अपनी जमा राशियां.
- एन.एस.सी, आई.वी.पी., के.वी.पी., सरकारी बांड, भारतीय रिजर्व बैंक के बांड, जीवन बीमा निगम की पॉलिसियां आदि.
- गैर निधि आधारित सुविधाओं पर नकद मार्जिन.
- स्वर्ण आभूषण.
- अनुमोदित सूची के अनुसार शेयर.

बैंक को प्रभारित प्रतिभूतियों के मूल्यांकन के लिए बैंक के पास सुनिर्धारित पॉ लिसी है.

ऋण जोखिम घटाने के लिए बैंक ने उपर्युक्त क्रम.सं. 3 से 6 में उल्लिखित प्रतिभूतियों का उपयोग किया है.

बैंक के ऋण जोखिम पर मुख्य प्रकार के गारंटर इस प्रकार हैं :

- व्यक्ति (व्यक्तिगत गारंटी)
- कॉर्पोरेट
- केंद्र सरकार
- राज्य सरकार
- ई.सी.जी.सी.
- सी.जी.एफ.टी.एस

VI. Credit Risk Mitigation:

Bank obtains various types of securities (which may also be termed as collaterals) to secure the exposures (Fund based as well as non-fund based) on its borrowers. Generally following types of securities (whether as primary securities or collateral securities) are taken:

- Movable assets like stocks, movable machinery etc.
- Immoveable assets like land, building, plant & machinery.
- Bank's own deposits.
- NSCs, IVPs, KVPs, Govt. Bonds, RBI Bonds, LIC policies, etc.
- 5. Cash Margin against Non-fund based facilities.
- Gold Jewellery.
- Shares as per approved list.

The bank has well-laid down policy on valuation of securities charged to the bank.

The Bank has applied securities mentioned at Sr. No. 3 to 6 above as Credit Risk Mitigants.

The main types of guarantors against the credit risk of the bank are:

- Individuals (Personal guarantees)
- Corporate
- Central Government
- State Government
- **ECGC**
- **CGFTS**



सी.आर.एम. संपार्श्विक प्रतिभूतियां अधिकांशतः बैंक की अपनी जमाओं पर तथा सरकारी प्रतिभूतियों, जीवन बीमा निगम पॉलिसी पर ऋणों के लिए उपलब्ध हैं. सी. आर.एम प्रतिभृतियां गैर निधि आधारित सुविधाओं जैसे गारंटियों एवं साख पत्रों के लिए भी ली जाती हैं.

बैंक के ऋणों के लिए सी.आर.एम के रूप में पात्र गारंटीकर्ता (बेसल II) के अनुसार मुख्य रूप से केंद्र/राज्य सरकार, ई.सी.जी.सी., सी.जी.एफ.टी.एस हैं.

दिनांक 31.03.2012 को बकाया ऋणों में से कटौती के लिए पात्र कुल अस्थिरता समायोजित ऋण जोखिम मिटिगंट ₹ 3626.87 करोड हैं.

VII. प्रतिभृतिकरण:

दिनांक 31 मार्च 2012 को बैंक के पास अपनी आस्तियों के प्रतिभूतिकरण का कोई मामला नहीं है.

VIII. व्यापार बही में बाजार जोखिम

बैंक, बाजार जोखिम को बाजार कीमत में हो रही प्रतिकृल गतिविधियों से होनेवाली संभाव्य हानि के रूप में परिभाषित करता है. निम्नलिखित जोखिमों को बाजार जोखिम के रूप में निर्धारित किया गया है :

- ब्याज दर जोखिम
- मुद्रा जोखिम
- कीमत जोखिम

जोखिम प्रबंधन के लिए, बैंक के निदेशक मंडल ने विभिन्न सीमाएं जैसे कुल निपटान सीमाएं, हानि रोकने की सीमा तथा जोखिम मूल्य सीमाएं निर्धारित की हैं. जोखिम सीमाएं, ख़ुले बाजार की स्थितियों के जोखिमों का नियंत्रण करती हैं. ऋण हानि रोकने की सीमा, हुई एवं होनेवाली हानियों को भी शामिल करता है. बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिदेशों के अनुसार ट्रेडिंग पोर्टफोलियो हेतु बाजार जोखिम पर पूंजी प्रभार के परिकलन के लिए स्टेंडर्डाइस्ड ड्यूरेशन अप्रोच नामक उचित प्रणाली अपनायी है. इस प्रकार परिकलित पूंजी प्रभार को जोखिम वाली आस्तियों में अंतरित किया जाता है. सी.आर.ए.आर. की गणना के लिए ऋण जोखिम के लिए कुल जोखिम वाली आस्तियों, बाजार जोखिम तथा परिचालन जोखिम पर विचार किया जाता है.

दिनांक 31 मार्च 2012 को बाजार जोखिम (स्टेंडर्डाइस्ड ड्यूरेशन अप्रोच के अनुसार) पर पूंजी प्रभार निम्न प्रकार है :

Basel II Disclosures

CRM collaterals are mostly available in Loans Against Bank's Own Deposit and Loans against Government Securities, LIC Policies. CRM securities are also taken in non fund based facilities like Guarantees and Letters of Credit.

Eligible guarantors (as per Basel II) available as CRM in respect of Bank's exposures are mainly Central/ State Government, ECGC,

The total volatility adjusted Credit Risk Mitigants eligible for deduction from the outstanding exposures as on 31.03.2012 are ₹ 3626.87crore.

VII. Securitisation:

The Bank does not have any case of its assets securitised as on 31st March, 2012.

VIII. Market risk in trading book:

The Bank defines market risk as potential loss that the Bank may incur due to adverse developments in market prices. The following risks are identified as Market risk:

- Interest Rate Risk
- Currency Risk
- Price risk

To manage risk, Bank's Board of Directors has laid down various limits such as Aggregate Settlement limits, Stop loss limits and Value at Risk limits. The risk limits, control the risks arising from open market positions. The stop loss limit takes into account realized and unrealized losses. Bank has put in place a proper system for calculating capital charge on Market Risk on Trading Portfolio as per RBI Guidelines, viz., Standardised Duration Approach. The capital charge thus calculated is converted into Risk Weighted Assets. The aggregated Risk Weighted Assets for credit risk, market risk and operational risk are taken in to consideration for arriving at the CRAR.

Capital charge on Market Risk (as per Standardised Duration Approach) as on 31st March, 2012 is as under:

क्रम सं. Sl. No.	जोखिम श्रेणी Risk Category	रकम (₹ करोड़ में) Amount (₹ In crore)
I	ब्याज दर (ए + बी) Interest Rate (a+b)	
а	साधारण बाजार जोखिम General market risk	120.46
(i)	निवल स्थिति Net Position	120.46
(ii)	हॉरिजोंटल अस्वीकृति Horizontal disallowance	0.00
(iii)	वेर्टिकल अस्वीकृति Vertical disallowance	0.00
(iv)	विकल्प Options	0.00
b	विशिष्ट जोखिम Specific Risk	24.19
II	ईक्विटी जोखिम Equity Risk	20.00
a.	साधारण बाजार जोखिम General market risk	10.00
b.	विशिष्ट जोखिम Specific risk	10.01
III	विदेशी विनिमय जोखिम (स्वर्ण सहित) Foreign Exchange Risk (including Gold)	4.50
IV	स्टेंडर्डाइस्ड ड्यूरेशन अप्रोच (I + II+III) के अंतर्गत बाजार जोखिम के लिए कुल पूंजी प्रभार Total capital charge for market risks under Standardised duration approach (I + II+III)	169.16

IX. परिचालन जोखिम

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिदेशों के आधार पर, बैंक ने परिचालन जोखिम के लिए पूंजी की आवश्यकताओं के परिकलन के लिए बेसिक इंडिकेटर अप्रोच अपनाया है. दिनांक 31 मार्च 2012 को परिचालन जोखिम के लिए जोखिम वाली आस्ति ₹ 2957.47 करोड़ थी.

X. बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आई.आर.आर.बी.बी.)

ब्याज दर जोखिम की दो दृष्टिकोणों से माप एवं निगरानी की जाती है.

जोखिम पर आय (पारंपरिक अंतराल विश्लेषण) (अल्पावधि) :

इस अप्रोच के अंतर्गत बैंक की निवल ब्याज आय पर ब्याज दर में परिवर्तन के तुरंत प्रभाव का विश्लेषण किया जाता है.

i. विभिन्न वातावरणों में जोखिम में आय अर्जन का विश्लेषण निम्न प्रकार किया गया है:

- आय कर्व जोखिम: आस्तियों तथा देयताओं के लिए नीचे की ओर 0.50% परिवर्तन माना जाता है. इस वातावरण में ब्याज दर में 50 आधार अंकों की गिरावट से अगले वर्ष के लिए निवल ब्याज आय पर ₹ 101.93 करोड़ का प्रतिकृल प्रभाव पडेगा.
- 2. दूसरे वातावरण में, जिसमें दरें निवेश और जमाओं के लिए, अग्रिम संविभाग के लिए नहीं, 50 आधार अंक बढ़ाई जाती हैं. इस वातावरण में यदि ब्याज दरों में 50 आधार अंकों की गिरावट आती है तो बैंक की निवल ब्याज आय पर ₹65.76 करोड़ का नकारात्मक प्रभाव होगा.

ii. ईक्विटी का आर्थिक मूल्य (अवधि अंतराल विश्लेषण) (दीर्घावधि)

- क. ईक्विटी का आर्थिक मूल्य ज्ञात करने हेतु ईक्विटी की संशोधित अविध प्राप्त करने के लिए आस्तियों तथा देयताओं की संशोधित अविध की गणना की जाती है. ईक्विटी के आर्थिक मूल्य के असर के प्रभाव का विश्लेषण अविध अंतराल पद्धित से घरेलू परिचालनों के लिए नियमित अंतरालों पर 100 आधार अंकों की दर पर कम करके किया जाता है.
- ख. ब्याज दरों में 100 आधार अंक कम किए जाने के कारण बैंक की निवल संपत्ति पर कुल असर घरेलू परिचालनों के लिए दिनांक 31.03.2012 को ₹293.21 करोड है.

बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी बेसल ॥ दिशानिदेशों का अनुपालन किया है जिसमें न्यूनतम पूंजी आवश्यकता, प्रकटन आवश्यकता शामिल हैं. कारोबार के दौरान बैंक ने शामिल जोखिम को निर्धारित करने, उसके प्रभाव को मापने, उसे कम करने की तकनीक अपनाने/ऐसे जोखिमों को कम करने के लिए आवश्यक उपाय कम करने के लिए प्रणाली और प्रक्रिया तैयार की हैं. आगे ऐसे जोखिमों की निगरानी और उनको कम करने का कार्य निरंतर आधार पर जारी रहेगा.

Basel II Disclosures

IX. Operational risk:

In line with RBI guidelines, Bank has adopted the Basic Indicator Approach to compute the capital requirements for Operational Risk. Risk Weight Asset for the Operational Risk as at 31st March, 2012 is at ₹ 2957.47 Crore.

X. Interest rate risk in the banking book (IRRBB):

The interest rate risk is measured and monitored through two approaches:

Earning at Risk (Traditional Gap Analysis) (Short Term):

The immediate impact of the changes in the interest rates on net interest income of the bank is analyzed under this approach.

i. The Earning at Risk is analyzed under different scenarios as under :

- Yield curve risk: A parallel downward shift of 0.50% is assumed for assets as well as liabilities. In this scenario, a fall in interest rates by 50 basis points will impact NII for the next year by only ₹ 101.93 crore.
- In the second scenario where the rates are increased by 50 bps for investments and deposits and not for advances portfolio. In this scenario, if interest rates fall by 50 basis points, the Bank's NII will be impacted by negative ₹65.76 crore.

ii Economic Value of Equity (Duration Gap Analysis) (Long term) :

- a. Economic Value of Equity is done by calculating modified duration of assets and liabilities to arrive at the modified duration of equity. Impact on the Economic Value of Equity is analyzed for a 100 bps rate shock at regular intervals for domestic operations through Duration Gap Method.
- b. The net impact on Net Worth of the bank against 100 bps downward movement in interest rates is ₹ 293.21 Crore as on 31.03.2012 for domestic operations.

The Bank has thus complied with the Basel II guidelines issued by the Reserve Bank of India including maintenance of minimum capital requirements, disclosure requirements. In the course of its business, Bank has set in place systems & procedures to identify the risks involved, measure the impact thereof, adhere to mitigation techniques / take necessary steps to mitigate such risks. Further, monitoring of such risks and mitigation thereof is done on an ongoing basis.